न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 54 / 2023

1 हीरालाल पुत्र दीपा
2 पोखरमल पुत्र दीपा
3 श्योपाल पुत्र दीपा
4 संतरा देवी पत्नी रतनलाल
5 मनीष पुत्र रतनलाल
6 आयुष पुत्र रतनलाल
7 कैलाश पुत्र रतनलाल (अपी. सं. 6 व 7 अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संतरा देवी)
8 छोटी पुत्री रतनलाल
9 हजारी देहिता दीपा
10 दानाराम पुत्र मांगूराम
11 टोडाराम पुत्र मांगूराम
12 भंवरी पत्नी मुन्नाराम
13 बाली देवी पत्नी मुन्नाराम
14 धुकलराम पुत्र मुन्नाराम
15 भोभाराम पुत्र भानाराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पूनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 पूराराम पुत्र चौखाराम मृतक
1/1 रतनलाल पुत्र स्व. पूराराम
1/2 अर्जुन पुत्र स्व. पूराराम
1/3 मुकेश पुत्र स्व. पूराराम
2 शिवपाल पुत्र हेमाराम
3 श्यामलाल पुत्र हेमाराम
4 बल्लूराम पुत्र हेमाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

5 दुल्लाराम पुत्र लच्छा
6 सोहनी देवी पुत्री दीपा
7 बिमला देवी दोहिता दीपा
8 राजू दोहिता दीपा
9 श्रवण दोहिता दीपा
10 श्रवण कुमार पुत्र मांगूराम
11 गोरधनी देवी पुत्री मुन्नाराम
12 लिछमा देवी पुत्री मुन्नाराम
13 मूलचन्द पुत्र रामदेव
14 प्रहलाद पुत्र रामदेव
समस्त जाति जाट निवासीगण पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

15 भंवरलाल पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

16 जमना देवी पत्नी गोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम उमाड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

17 रूपा देवी पत्नी नोलाराम जाति जाट निवासी ग्राम पूनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

18 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

19 उप पंजीयक दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

20 पटवारी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

21 प्रबन्ध सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. शाखा दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

22 प्रबन्ध बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2022
मुकदमा संख्या 75/2022 बउनवानी पूराराम बनाम
शिवपाल आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट

अपील संख्या 56/2023

1 हीरालाल पुत्र दीपा
2 पोखरमल पुत्र दीपा
3 श्योपाल पुत्र दीपा
4 संतरा देवी पत्नी रतनलाल
5 मनीष पुत्र रतनलाल
6 आयुष पुत्र रतनलाल
7 कैलाश पुत्र रतनलाल (अपी. सं. 6 व 7 अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संतरा देवी)
8 छोटी पुत्री रतनलाल
9 हजारी देहिता दीपा
10 दानाराम पुत्र मांगूराम
11 टोडाराम पुत्र मांगूराम
12 भंवरी पत्नी मुन्नाराम
13 बाली देवी पत्नी मुन्नाराम
14 धुकलराम पुत्र मुन्नाराम
15 भोभाराम पुत्र भानाराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पूनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 पूराराम पुत्र चौखाराम मृतक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

1/1 रतनलाल पुत्र स्व. पूराराम
1/2 अर्जुन पुत्र स्व. पूराराम
1/3 मुकेश पुत्र स्व. पूराराम
2 शिवपाल पुत्र हेमाराम
3 श्यामलाल पुत्र हेमाराम
4 बल्लूराम पुत्र हेमाराम
5 दुल्लाराम पुत्र लच्छा
6 सोहनी देवी पुत्री दीपा
7 बिमला देवी दोहिता दीपा
8 राजू दोहिता दीपा
9 श्रवण दोहिता दीपा
10 श्रवण कुमार पुत्र मांगूराम
11 गोरधनी देवी पुत्री मुन्नाराम
12 लिछमा देवी पुत्री मुन्नाराम
13 मूलचन्द पुत्र रामदेव
14 प्रहलाद पुत्र रामदेव
समस्त जाति जाट निवासीगण पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

15 भंवरलाल पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

16 जमना देवी पत्नी गोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम उमाड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

17 रूपा देवी पत्नी नोलाराम जाति जाट निवासी ग्राम पूनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

18 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

19 उप पंजीयक दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

20 पटवारी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

21 प्रबन्ध सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. शाखा दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

22 प्रबन्ध बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2022
मुकदमा संख्या 75/2022 बउनवानी पूराराम बनाम
शिवपाल आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
अपील अ. धारा 223 आरटी.एक्ट

अपील संख्या 57/2023
1 हीरालाल पुत्र दीपा
2 पोखरमल पुत्र दीपा
3 श्योपाल पुत्र दीपा
4 संतरा देवी पत्नी रतनलाल
5 मनीष पुत्र रतनलाल
6 आयुष पुत्र रतनलाल
7 कैलाश पुत्र रतनलाल (अपी. सं. 6 व 7 अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संतरा देवी)
8 छोटी पुत्री रतनलाल
9 हजारी देहिता दीपा
10 दानाराम पुत्र मांगूराम
11 टोडाराम पुत्र मांगूराम
12 भंवरी पत्नी मुन्नाराम
13 बाली देवी पत्नी मुन्नाराम
14 धुकलराम पुत्र मुन्नाराम
15 भोभाराम पुत्र भानाराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पूनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 पूराराम पुत्र चौखाराम मृतक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सहायक कलेक्टर अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

1/1 रतनलाल पुत्र स्व. पूराराम
1/2 अर्जुन पुत्र स्व. पूराराम
1/3 मुकेश पुत्र स्व. पूराराम
2 शिवपाल पुत्र हेमाराम
3 यामलाल पुत्र हेमाराम
4 बल्लूराम पुत्र हेमाराम
5 दुल्लाराम पुत्र लच्छा
6 सोहनी देवी पुत्री दीपा
7 बिमला देवी दोहिता दीपा
8 राजू दोहिता दीपा
9 श्रवण दोहिता दीपा
10 श्रवण कुमार पुत्र मांगूराम
11 गोरधनी देवी पुत्री मुन्नाराम
12 लिछमा देवी पुत्री मुन्नाराम
13 मूलचन्द पुत्र रामदेव
14 प्रहलाद पुत्र रामदेव
समस्त जाति जाट निवासीगण पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

15 भंवरलाल पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

16 जमना देवी पत्नी गोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम उमाड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

17 रूपा देवी पत्नी नोलाराम जाति जाट निवासी ग्राम पूनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

18 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

19 उप पंजीयक दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

20 पटवारी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

21 प्रबन्ध सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. शाखा दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

22 प्रबन्ध बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2023
मुकदमा संख्या 75/2022 बउनवानी पूराराम बनाम
शिवपाल आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

अपील संख्या 58/2023

1 हीरालाल पुत्र दीपा
2 पोखरमल पुत्र दीपा
3 श्योपाल पुत्र दीपा
4 संतरा देवी पत्नी रतनलाल
5 मनीष पुत्र रतनलाल
6 आयुष पुत्र रतनलाल
7 कैलाश पुत्र रतनलाल (अपी. सं. 6 व 7 अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संतरा देवी)
8 छोटी पुत्री रतनलाल
9 हजारी देहिता दीपा
10 दानाराम पुत्र मांगूराम
11 टोडाराम पुत्र मांगूराम
12 भंवरी पत्नी मुन्नाराम
13 बाली देवी पत्नी मुन्नाराम
14 धुकलराम पुत्र मुन्नाराम
15 भोभाराम पुत्र भानाराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पूनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

1 पूराराम पुत्र चौखाराम मृतक
1/1 रतनलाल पुत्र स्व. पूराराम
1/2 अर्जुन पुत्र स्व. पूराराम
1/3 मुकेश पुत्र स्व. पूराराम
2 शिवपाल पुत्र हेमाराम
3 श्यामलाल पुत्र हेमाराम
4 बल्लूराम पुत्र हेमाराम
5 दुल्लाराम पुत्र लच्छा
6 सोहनी देवी पुत्री दीपा
7 बिमला देवी दोहिता दीपा
8 राजू दोहिता दीपा
9 श्रवण दोहिता दीपा
10 श्रवण कुमार पुत्र मांगूराम
11 गोरधनी देवी पुत्री मुन्नाराम
12 लिछमा देवी पुत्री मुन्नाराम
13 मूलचन्द पुत्र रामदेव
14 प्रहलाद पुत्र रामदेव
समस्त जाति जाट निवासीगण पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

15 भंवरलाल पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

16 जमना देवी पत्नी गोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम उमाड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

17 रूपा देवी पत्नी नोलाराम जाति जाट निवासी ग्राम पूनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

18 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

19 उप पंजीयक दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

20 पटवारी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

21 प्रबन्ध सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. शाखा दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

22 प्रबन्ध बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2023
मुकदमा संख्या 75/2022 बउनवानी पूराराम बनाम
शिवपाल आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 27/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 75/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 व 12.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। चारों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी पुराराम द्वारा ग्राम पुन्याणा पटवार हल्का धोलासरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 439, 440, 441, 442, 443, 444 व 445 के संदर्भ में दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन कुल 31 प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 30.05.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। विभाजन प्रस्ताव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त होने पर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई दिनांक 12.01.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.05.2022 को वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रतिदावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया है एवं दिनांक 12.01.2023 वादी के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के काउण्टर क्लेम के आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 9 से 13, 17 से 19, 22, 23 एवं 28 की ओर से यह चार अपीलें प्रस्तुत की गई है। यह चारों अपीलें धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत कि गई थी। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2023 से धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जा चुका है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वाद पत्र मे बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये अपीलान्ट को बिना सुनवायी का समुचित अवसर दिये अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.04.2022 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद के नोटिस अपीलान्ट को कभी भी किसी भी विधि से प्राप्त नहीं हुए तथा प्रथम पेशी दिनांक 06. 04.2022 को अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किये जाने का आदेश किया गया था जिसके अनुसार अप्रार्थीगण की तामील जरिए तामिल कुनिन्दा करवायी जानी थी परन्तु बिना न्यायालय के रजिस्ट्रीकृत तामील के अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रीकृत/डाक से सम्मन भेजे गये तथा सम्मन प्राप्त होने की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होते हुए भी दिनांक 09. 05.2022 को अपीलान्टस/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वाद पत्र अग्रिम कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा काउण्टर वाद पेश किया गया तथा काउण्टर वाद पेश किया गया तथा काउण्टर वाद का प्रार्थी ने कोई जवाब पेश नहीं किया अर्थात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने अपीलान्टस एवं अन्य अप्रार्थीगण को वाद पत्र की कोई जानकारी नहीं होने का फायदा उठाकर दुरभिसंधी कर सहमति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

से वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री इस आशय से जारी करवाकी कि विभाजन प्रस्ताव में दांतारामगढ़ जयपुर सड़क मार्ग पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर उनके बंटवारे में आने का प्रस्ताव मनचाहे अनुसार तैयार करवा सके। वाद पत्र में न तो तनकियात कायम की गयी ना ही कोई साक्ष्य ली गयी। दिशा निर्देशों की पालना में तहसीलदार द्वारा जो प्रस्ताव दिनांक 14.06.2022 को मौके पर जाकर तैयार करने का काल्पनिक तैयार किया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 उपस्थित मिले तथा बिन्दू संख्या 1 व 2/शर्तो के अनुसार पक्षकारान बंटवारा हेतु सहमत नहीं है। अर्थात मौके पर अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 17 मौके पर थे ही नही तो तहसीलदार ने बिना किसी मध्यस्ता के पक्षकार सहमत होना या नहीं होना किस प्रकार तैय किया जबकि मौके पर सभी पक्षकारों अर्थात 1/4 हिस्से प्रत्येक की अपनी अपनी तारबंदी एवं डोल लगी हुई तथा स्पष्ट रूप से सीमा चिन्ह कायम है। इसलिए मौके पर बिना गये बिना अपीलान्ट को सूचना दिये तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री व निर्णय भी निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमियों के खातेदार प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जाट जाति से पलसानिया गोरू का अप्रार्थी संख्या 1 से 4/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 जाट जाति खीचड़ गोत्र ने तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 15 जाट जाति से डोगीवाल गोत्र के है अर्थात खातेदार एक परिवार के न होकर अलग–अलग परिवार एवं अलग अलग गोत्र के है जिनके मध्य वादग्रस्त भूमियों का बाहमी बंटवारा नहीं होना संभव ही नहीं है बल्कि भूमि खसरा नम्बर 439 से 445 कुल किता 7 कुल रकबा 5.4400 है. वाके पुनयाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर का बाहमी बंटवारा अर्सा करीब 60 साल पूर्व हो चुका था जिसके अनुसार सड़क के सहारे सहारे की भूमि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 15 के पूर्वजों को एवं पीछे की भूमि अपीलान्ट संख्या 1 ता 5 के पूर्वजों को प्राप्त हुई थीत था उसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज है जिसे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में स्वीकार किया है। अपीलान्टस को विभाजन प्रस्ताव में दी गयी भूमि में आने जाने के रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 कृषि भूमि खसरा नम्बर 439 से 445 कुल किता 7 कुल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 5.4000 है. ग्राम पुनयाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया एवं गलत अमल/अंकन का नाजायज फायदा उठाकर सड़क के सहारे की भूमि से अपीलान्टस को बलात बेदखल कर कब्जा करने, निर्माण करने, मौके का स्वरूप बदलने, भूमियों को विक्रय करने की कुचेष्टा में प्रयासरत है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है कि वो भूमि खसरा नम्बर 439 से 445 कुल किता 7 कुल रकबा 5.4000 है. ग्राम पुनयाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर से अपीलान्टस को बेदखल करने, निर्माण करने, सींव नींव नष्ट करने, विक्रय करने से बाज रहे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वाद पत्र में पारित वाद डिक्री किए जाने के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय हाजा में अपील सं. 31/2023 उनवानी हीरालाल बनाम पुराराम दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत कर दी थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा यह आपत्ति किए जाने पर कि विचारण न्यायालय द्वारा दावा व प्रतिदावा का एक ही निर्णय पारित किया गया है जिसके विरूद्ध एक ही कम्पोजिट अपील नहीं हो सकती पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2023 को अपील सं. 31/2023 में आदेश पारित करते हुए अपील को खारिज कर दिया एंव विधि अनुसार अपील पेश करने की अपीलान्ट को स्वतंत्रता दी जिसकी सूचना अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को दिये जाने पर अपीलान्ट ने विचारण नयायालय में निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति लेने हेतु आवेदन किया जो दिनांक 10.04.2023 को प्राप्त हुई परन्तु अपीलान्ट संख्या 1 जो अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में था सर्दी जुकाम से पीड़ित होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका व दिनांक 21.04.2023 को सीकर न्यायालय परिसर में आकर अपने अधिवक्ता से मिला तथा दिनांक 22.04.2023, 23.04.2023 का शनिवार, रविवार अवकाश होने से आज अपील अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना प्रार्थनीय है जिस बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा संख्या 75/2022 बउनवानी पूराराम बनाम शिवपाल आदि में पारित काउण्टर वाद स्वीकार किये जाने के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2023 को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ (सीकर) द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन बंटवारे के वाद संख्या 75/2022 ब उनवानी पूराराम बनाम षिवपाल व अन्य व काउन्टर वाद में पारित निर्णय मय अंतिम डिक्री दिनांकित 12/01/2023 के विरुद्व दो अपीले एवं प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांकित 30/05/2022 के विरुद्व दो अपीले कुल 04 अपीले अपीलांट्स की ओर से राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1/1 की ओर से लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से दिनांक 06/04/2022 को वाद प्रस्तुत किया गया। जिसको दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 26/04/2022 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 26/04/2022 को तामील उपरान्त प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री शिवपालसिंह उपस्थित हुये व प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र जाट उपस्थित हुये। षेष की ओर से कोई उपस्थित न होने पर आगामी पेषी दिनांक 09/05/2022 को तामील आदेष हेतु नियत की गयी। दिनांक 09/05/2022 को भी अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर इनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। तत्पष्चात पत्रावली को प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 के जवाब हेतु नियत किया। दिनांक 16/05/2022 को प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 की ओर से जवाब दावा पेष किया। उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वाद पत्र को मंजूर कर वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा वादी ने भी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर वाद व काउन्टर वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय की आदेषिका पर उभय पक्ष द्वारा वाद प्राथमिक रुप से डिक्री कर मौके का बाई मिट्स एण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

बाउण्डस बंटवारा प्रस्ताव मंगाने की सहमति प्रकट किये जाने से तनकी कायम नहीं की गयी एवं वाद पत्र व काउन्टर वाद को प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिष्नर नियुक्त किया गया। मौका कमिष्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) ने अपीलांट्स सहित सभी खातेदारान् को पूर्व सूचना देकर दिनांक 14/06/2022 को मौके पर जाकर विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में जारी निर्देशो के अनुरुप व राजस्व मण्ड़ल बंटवारा नियम 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये जब मौका पर वादाधीन कृषि आराजी का पूर्व से विभाजन किया हुआ न होने से व पक्षकारान् द्वारा मौके पर आपसी सहमति से भी विभाजन किये जाने की सहमति न बनने पर प्राथमिक डिक्री में विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशो के बिन्दू संख्या–03 बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि) बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभय पक्षों को सुना जाकर विस्तृत रुप से विवेचित करते हुये आपत्ति अस्वीकार कर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव को विभाजन नियम 18 से 21 के अनुरुप पाये जाने पर बंटवारा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं पाये जाने पर वादी का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अंतिम रुप से निर्णित किया जाकर दिनांक 12/01/2023 को अंतिम डिक्री पारित की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री की राजस्व अभिलेखों में पालना हो चुकी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अपीलीय न्यायालय नोटिस/सम्मन की तामील की पर्याप्तता एवं अपर्याप्तता के बारे में निष्कर्ष नहीं दे सकता है। नोटिस की तामील के बारे में परीक्षण करने के सम्बंध में अपीलीय न्यायालय समर्थ नहीं है। नोटिस की तामील का बिन्दू अपीलांट्स को विचारण न्यायालय के समक्ष आदेष 09 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन पेष कर उठाना चाहिये था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

इस बिन्दू को अपीलांट्स अपीलीय न्यायालय में नहीं उठा सकते। तथ्य :– विचारण न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड डाक से तामील जारी हुयी है। वाद पत्र के सभी पक्षकारान् पर विधिवत् पर्याप्त तामील हुयी है तथा तामील होने पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से एवं प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 की ओर से जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा भी पेष किया है। रजिस्टर्ड डाक से तामील होने की रसीदे पत्रावली में संलग्न नोटिसों पर चस्पा की गयी है। इसके अलावा भी मौका कमिष्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व दिनांक 10/06/2022 को अपीलांट्स को नोटिस जारी कर दिनांक 14/06/2022 को मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की सूचना दी थी। जिन नोटिसों की तामील भी अपीलांट्स पर दिनांक 13/06/2022 को हुयी है। वादी का वाद पत्र कृषि भूमि के बंटवारे का वाद था तथा प्रतिवादीगण ने भी जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को मंजूर कर डिक्री किये जाने के उत्तरोतर के साथ में अपना सेपरेट बंटवारा किये जाने हेतु काउन्टर क्लेम पेष किया था। इस कारण काउन्टर क्लेम वादी की ओर से स्वीकार कर लिये जाने से काउन्टर क्लेम का जवाब दिया जाना विधिक रुप से आवष्यक नहीं था। जहॉ वाद पत्र के अभिवचनों को डिनाय/इन्कार नहीं किया जाता है अर्थात जहॉ वाद पत्र के अभिवचनों/प्लीडिंग्स को मंजूर/स्वीकार कर लिया जाता है, वहॉ तनकीयात कायम करने की एवं साक्ष्य लेने की विधिक आवष्यकता नहीं रह जाती है। जहॉ वाद पत्र को प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उत्तरोतर में स्वीकार कर लिया जाता है, वहॉ वाद विवाधक कायम नहीं किये जाते है। तथ्य : वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवारे के वाद का प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 एवं प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 ने अपने जवाब दावा में स्पष्ट रुप से वादाधीन भूमियों को संयुक्त कब्जे काष्त की व वादी की सह–खातेदारी में होना मान्य करते हुये वादी का वाद मुताबिक अनुतोष बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि) अर्थात किस्म व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

गुणवता में समान रुप से भूमि का बंटवारा किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवं राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अन्तर्गत कृषि जोत की विभाजन सम्बंधी प्रक्रिया प्रावधित है। मौजुदा प्रकरण में राजस्व मण्ड़ल नियम 18 से 21 की पूर्ण रुप से पालना की गयी है। जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जारी नोटिस एवं बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से बखुबी साबित है। बंटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर–439, 440/1, 441/2, 444/3, 442/1, 443/1, 445/3 अपीलांट्स की दी गयी है, जो भूमियां मुख्य सड़क मार्ग दांतारामगढ़ से जयपुर जाने वाली स्टेट हाईवे नम्बर 08ए पर लगती हुयी है। इस कारण अपीलांट्स को प्रस्तावित भूमियो में आवागमन बाबत कोई अवरोध नहीं है। अंतिम डिक्री दिनांकित 12/01/2023 की वैधता के सम्बंध में माननीय अपीलीय न्यायालय को देखना है कि :– "क्या अंतिम डिक्री, प्राथमिक डिक्री में निर्णित हिस्सा अनुसार तथा राजस्थान टीनेंसी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अुनसार है या नहीं "? उक्त अवधार्य बिन्दू के दो पार्ट है:–(A)–क्या अंतिम डिक्री, प्राथमिक डिक्री में निर्णित हक हिस्सा अनुसार है। (B)–क्या अंतिम डिक्री बंटवारा नियम 18 से 21 के अनुरुप है। (A)– क्या अंतिम डिक्री, प्राथमिक डिक्री में निर्णित हक हिस्सा अनुसार है ? अपीलांट्स ने प्राथमिक डिक्री में भी अपने हक हिस्सों में किसी भी प्रकार की कमीबेषी किये जाने या त्रृटि किया जाना जाहिर/प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार प्राथमिक डिक्री अपीलांट्स के राजस्व अभिलेखों में दर्ज हिस्से अनुसार ही जारी की है। अंतिम डिक्री भी, प्राथमिक डिक्री में दर्ज अपीलांट्स के हक हिस्सो के अनुरुप है। (B)–क्या अंतिम डिक्री बंटवारा नियम 18 से 21 के अनुरुप है ? इस सम्बंध में राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवन्यू रुल्स 1955 के नियम 18 से 21 एवं धारा 53 आर.टी.एक्ट, 1955 के अन्तर्गत जोत विभाजन की प्रक्रिया प्रावधित की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

गयी है। उपरोक्त में से नियम–20 न्यायालय की विभाजन डिक्री की पालना में की जाने वाली कार्यवाही का प्रावधान करता है। उपरोक्तानुसार राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम, 1955 के नियम 20 के उप–नियम (e) में प्रयुक्त शब्दावली **"as far as possible"** का आषय यह है कि जहॉ तक संभव हो, जो भू–भाग किसी सह–खातेदार के कब्जे में है, उसे उसी को दिया जावे। किन्तु प्रकरण विषेष में जब भूमि की मात्रा व किस्म के आधार पर ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो ऐसा कोई आज्ञापक **(Mandatory)** प्रतिबंध उक्त नियम 20 में नहीं है कि एक सह–खातेदार के कब्जे की भूमि अन्य सह–खातेदार को नहीं दी जा सकती है। यहॉ पर यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण एवं आवष्यक है कि मौजुदा प्रकरण में भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में मौका कमिष्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि मौका पर पक्षकारान् ने बाहमी बंटवारा नहीं कर रखा है। इस प्रकार तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट से भी अपीलांट्स का किसी खसरा विषेष की भूमि पर स्पेसिफिक कब्जा होना व करीबन 60 वर्षो से बाहमी रुप से बंटवारा होना साबित नहीं होता है तथा ना ही अपीलांट्स ने अपील में ऐसा कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता हो कि 60 वर्षो पूर्व से ही वादग्रस्त भूमियां मौके पर विभाजित हो गयी थी। मौका कमिष्नर की रिपोर्ट से एवं पक्षकारान् के अभिवचनों से वादाधीन कृषि भूमियां मौके पर अविभाजित होकर संयुक्त कब्जे काष्त की होना प्रमाणित पायी गयी है। राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम, 1955 के नियम 20 के उप–नियम (e) में प्रयुक्त शब्दावली **"as far as possible"** का आषय यह है कि जहॉ तक संभव हो, जो भू–भाग किसी सह–खातेदार के कब्जे में है, उसे उसी को दिया जावे। किन्तु प्रकरण विषेष में जब भूमि की मात्रा व किस्म के आधार पर ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो ऐसा कोई आज्ञापक (Mandatory) प्रतिबंध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त नियम 20 में नहीं है कि एक सह–खातेदार के कब्जे की भूमि अन्य सह–खातेदार को नहीं दी जा सकती है। मौजुदा प्रकरण में भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में मौका कमिष्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि मौका पर पक्षकारान् ने बाहमी बंटवारा नहीं कर रखा है। इस प्रकार तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट से भी अपीलांट्स का किसी खसरा विशेष की भूमि पर स्पेसिफिक कब्जा होना व करीबन 60 वर्षो से बाहमी रुप से बंटवारा होना साबित नहीं होता है तथा ना ही अपीलांट्स ने अपील में ऐसा कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता हो कि 60 वर्षो पूर्व से ही वादग्रस्त भूमियां मौके पर विभाजित हो गयी थी। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से एवं पक्षकारान् के अभिवचनों से वादाधीन कृषि भूमियां मौके पर अविभाजित होकर संयुक्त कब्जे काष्त की होना प्रमाणित पायी गयी है। अब विधिक स्थिति यह आती है कि जब पक्षकारान्/खातेदारान् के मध्य मौके पर आपसी सहमति से बाहमी रुप से बंटवारा भी नही हो रखा हो और आपसी सहमति से भी बंटवारा हेतु सहमत नहीं हो तो मात्र एक विकल्प शेष रहता है जो है विधिक प्रक्रिया के अनुसार बंटवारा किया जाना जिस सम्बंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि मौका कमिष्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) ने भूमियों की किस्म, गुणवता, मालियत व सड़क से नजदीकी इत्यादि सभी पहलुओं को मध्यनजर रखते हुये प्राथमिक डिक्री में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्देषों के बिन्दू संख्या–03 के अनुसार **By mits & Bounds** (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि) सभी खातेदारान्/पक्षकारान् को उनके हक हिस्से के अनुपात में मुख्य सड़क से लगती हुयी भूमियां प्रस्तावित की गयी है। जिस पर भी प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 ने विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेष करी थी जिस पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12/01/2023 में सकारण, विधिक प्रावधानों, न्यायिक दृष्टांतों की रोषनी में विस्तृत विवेचन कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने पर अंतिम डिक्री पारित की है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रृटि हमारे समक्ष प्रकट नहीं होने से विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है। उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007(2) पेज 1196, आरसीसी 1998 पेज 22, आरआरडी 1994 पेज 693, आरआरडी 2002 पेज 268, आरआरटी 2021(2) पेज 858, आरआरटी 2023(1) पेज 449, डीएनजे 2014(1) पेज 380, आरएलडब्ल्यू 2002 (राज.) पेज 421, आरआरडी 1994 पेज 693, आरबीजे 2008 पेज 526, आरएलडब्ल्यू 2002 (राज.) पेज 421 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी पुराराम द्वारा ग्राम पुन्याणा पटवार हल्का धोलासरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 439, 440, 441, 442, 443, 444 व 445 के संदर्भ में दावा बावत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन कुल 31 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 30.05.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई दिनांक 12.01.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.05.2022 को वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रतिदावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया है एवं दिनांक 12.01.2023 वादी के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के काउण्टर क्लेम के आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 9 से 13, 17 से 19, 22, 23 एवं 28 की ओर से यह चार अपीलें प्रस्तुत की गई है। यह चारों अपीलें धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत कि गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

थी। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2023 से धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की प्रमुख आपत्ति है कि अपीलान्ट को सम्यक तामील नहीं करवाई गई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट को विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन में भूमि प्रदान नहीं की गई है।

विचारण न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से दिनांक 06/04/2022 को वाद प्रस्तुत किया गया। जिसको दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 26/04/2022 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 26/04/2022 को तामील उपरान्त प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री शिवपालसिंह उपस्थित हुये व प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र जाट उपस्थित हुये। शेष की ओर से कोई उपस्थित न होने पर आगामी पेशी दिनांक 09/05/2022 को तामील आदेश हेतु नियत की गयी। दिनांक 09/05/2022 को भी अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर इनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली को प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 के जवाब हेतु नियत किया। दिनांक 16/05/2022 को प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 की ओर से जवाब दावा पेश किया। उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वाद पत्र को मंजूर कर वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा वादी ने भी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 के काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर वाद व काउन्टर वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय की आदेशिका पर उभय पक्ष द्वारा वाद प्राथमिक रुप से डिक्री कर मौके का बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्डस बंटवारा प्रस्ताव मंगाने की सहमति प्रकट किये जाने से तनकी कायम नहीं की गयी एवं वाद पत्र व काउन्टर वाद को प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

मौका कमिश्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) ने अपीलांट्स सहित सभी खातेदारान् को पूर्व सूचना देकर दिनांक 14/06/2022 को मौके पर जाकर विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में जारी निर्देशो के अनुरुप व राजस्व मण्ड़ल बंटवारा नियम 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये जब मौका पर वादाधीन कृषि आराजी का पूर्व से विभाजन किया हुआ न होने से व पक्षकारान् द्वारा मौके पर आपसी सहमति से भी विभाजन किये जाने की सहमति न बनने पर प्राथमिक डिक्री में विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशो के बिन्दू संख्या–03 बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि) बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया।

विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभय पक्षों को सुना जाकर विस्तृत रुप से विवेचित करते हुये आपत्ति अस्वीकार कर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव को विभाजन नियम 18 से 21 के अनुरुप पाये जाने पर बंटवारा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं पाये जाने पर वादी का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अंतिम रुप से निर्णित किया जाकर दिनांक 12/01/2023 को अंतिम डिक्री पारित की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री की राजस्व अभिलेखों में पालना हो चुकी है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अपीलीय न्यायालय नोटिस/सम्मन की तामील की पर्याप्तता एवं अपर्याप्तता के बारे में निष्कर्ष नहीं दे सकता है। नोटिस की तामील के बारे में परीक्षण करने के सम्बंध में अपीलीय न्यायालय समर्थ नहीं है। नोटिस की तामील का बिन्दू अपीलांट्स को विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन पेष कर उठाना चाहिये था। इस बिन्दू को अपीलांट्स अपीलीय न्यायालय में नहीं उठा सकते।

विचारण न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड डाक से तामील जारी हुयी है। वाद पत्र के सभी पक्षकारान् पर विधिवत् पर्याप्त तामील हुयी है तथा तामील होने पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से एवं प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

सं. 26 व 27 की ओर से जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा भी पेश किया है। रजिस्टर्ड डाक से तामील होने की रसीदे पत्रावली में संलग्न नोटिसों पर चस्पा की गयी है। इसके अलावा भी मौका कमिश्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व दिनांक 10/06/2022 को अपीलांट्स को नोटिस जारी कर दिनांक 14/06/2022 को मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की सूचना दी थी। जिन नोटिसों की तामील भी अपीलांट्स पर दिनांक 13/06/2022 को हुयी है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष वाद लम्बित होने की जानकारी अपीलांट्स को प्रारम्भ से ही रही है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स ने आज दिवस तक विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक्स पार्टी आदेश को अपास्त कराने के लिए कोई आवेदन संस्थित नहीं किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवं राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अन्तर्गत कृषि जोत की विभाजन सम्बंधी प्रक्रिया प्रावधित है। मौजुदा प्रकरण में राजस्व मण्ड़ल नियम 18 से 21 की पूर्ण रुप से पालना की गयी है। जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जारी नोटिस एवं बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से बखुबी साबित है। मौका कमिश्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) ने विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में प्रदत दिशा निर्देशों की पालना में राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये पक्षकारान् को नोटिस जारी कर दिनांक 14/06/2022 को स्वयं मौके पर जाकर उपस्थित खातेदारान् की मौजुदगी में बाई मिट्स एण्ड बाण्ड्स प्रत्येक खसरा नम्बर में से मुख्य सड़क से लगती हुयी सभी खातेदारान् को किस्म, गुणवता व किमत के हिसाब से समान रुप से भूमि प्रस्तावित की है। मौका कमिश्नर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व खातेदारान् को नोटिस जारी कर सूचित किया था। जो नोटिस विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

विधिक रुप से बंटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमियों में आवागमन हेतु रास्ते की व्यवस्था की जानी आवष्यक है, किन्तु यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स को बंटवारे में दी गयी भूमियां मुख्य सड़क मार्ग (स्टेट हाईवे नम्बर 08ए) पर दी गयी है। इस कारण आवागमन में बाधा होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बंटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर–439, 440/1, 441/2, 444/3, 442/1, 443/1, 445/3 अपीलांट्स की दी गयी है, जो भूमियां मुख्य सड़क मार्ग दांतारामगढ़ से जयपुर जाने वाली स्टेट हाईवे नम्बर 08 ए पर लगती हुयी है। इस कारण अपीलांट्स को प्रस्तावित भूमियो में आवागमन बाबत कोई अवरोध नहीं है।

इस सम्बंध में राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवन्यू रुल्स 1955 के नियम 18 से 21 एवं धारा 53 आर.टी.एक्ट, 1955 के अन्तर्गत जोत विभाजन की प्रक्रिया स्पष्ट प्रावधित की गयी है।

नियम–20 न्यायालय की विभाजन डिक्री की पालना में की जाने वाली कार्यवाही का प्रावधान करता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम, 1955 के नियम 20 के उप–नियम **(e)** में प्रयुक्त शब्दावली **"as far as possible"** का आशय यह है कि जहॉ तक संभव हो, जो भू–भाग किसी सह–खातेदार के कब्जे में है, उसे उसी को दिया जावे। किन्तु प्रकरण विशेष में जब भूमि की मात्रा व किस्म के आधार पर ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो ऐसा कोई आज्ञापक **(Mandatory)** प्रतिबंध उक्त नियम 20 में नहीं है कि एक सह–खातेदार के कब्जे की भूमि अन्य सह–खातेदार को नहीं दी जा सकती है। मौजुदा प्रकरण में भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में मौका कमिश्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि मौका पर पक्षकारान् ने बाहमी बंटवारा नहीं कर रखा है। इस प्रकार तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट से भी अपीलांट्स का किसी खसरा विशेष की भूमि पर स्पेसिफिक कब्जा

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर

होना व करीबन 60 वर्षो से बाहमी रुप से बंटवारा होना साबित नहीं होता है तथा ना ही अपीलांट्स ने अपील में ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता हो कि 60 वर्षो पूर्व से ही वादग्रस्त भूमियां मौके पर विभाजित हो गयी थी। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से एवं पक्षकारान् के अभिवचनों से वादाधीन कृषि भूमियां मौके पर अविभाजित होकर संयुक्त कब्जे काश्त की होना प्रमाणित पायी गयी है।

अब विधिक स्थिति यह आती है कि जब पक्षकारान्/खातेदारान् के मध्य मौके पर आपसी सहमति से बाहमी रुप से बंटवारा भी नही हो रखा हो और आपसी सहमति से भी बंटवारा हेतु सहमत नहीं हो तो मात्र एक विकल्प शेष रहता है जो है विधिक प्रक्रिया के अनुसार बंटवारा किया जाना जिस सम्बंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि मौका कमिश्नर (तहसीलदार दांतारामगढ़) ने भूमियों की किस्म, गुणवता, मालियत व सड़क से नजदीकी इत्यादि सभी पहलुओं को मध्यनजर रखते हुये प्राथमिक डिक्री में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के बिन्दू संख्या–03 के अनुसार **By mits & Bounds** (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि) सभी खातेदारान्/पक्षकारान् को उनके हक हिस्से के अनुपात में मुख्य सड़क से लगती हुयी भूमियां प्रस्तावित की गयी है।

इस पर भी प्रतिवादीगण सं. 26 व 27 ने विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेश करी थी जिस पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12/01/2023 में सकारण, विधिक प्रावधानों, न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में विस्तृत विवेचन कर तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने पर अंतिम डिक्री पारित की है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि हमारे समक्ष प्रकट नहीं होने से विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है उसमें हम कोई विधिक त्रुटि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं पाते है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 54/2023, 56/2023, 57/2023 व 58/2023 अपीलें खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ग.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

Scanned with OKEN Scanner